प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 06.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सलमान उर्फ गुलामुद्दीन पुत्र स्व0 निजामुद्दीन निवासी वार्ड नं0 13 शिकंजू चाय वाले सामने कस्बा अकबरपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 25 वर्ष द्वारा आने जाने वाली लडकियो को देखकर अश्लील हरकते व कमेन्ट्स करना के सम्बन्ध मे गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 452/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना देवराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त राजन पुत्र रामसजीवन उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम जौर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त द्वारा रास्ते से आने जाने वाली लडकियों एवं महिलाओ को देखकर अश्लील हरकते एवं टिप्पणी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कुलदीप पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी शाहपुर,थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र 35 वर्ष द्वारा शराब के नशे में विद्यालय परिसर में महिला को गन्दे इशारे करने व अश्लील हरकते एवं टिप्पणी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0416/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त कुलदीप उम्र 35 वर्ष पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी शाहपुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात द्वारा सुबह स्कूल जाते समय उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र देवेन्द्र सिंह गौर का पुत्र कुलदीप द्वारा शराब के नशे में विद्यालय परिसर में आकर वादिनी को गन्दे-गन्दे इशारे करने, अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज करने, व ईंट पत्थर फेककर हमला करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में मु.अ.स.-0417/2025 धारा 79/125/296/352 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति,थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया गया।